

दिनांक: 07-09-2021

16823/निफ़्ट/श्रीनगर/संपदा/सुरक्षा सेवाएँ/2020/927

सुरक्षा सेवाएँ लेने के लिए ई-निविदा सूचना

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर अपने परिसर एवं छात्रावास आदि के लिए **चौबीसों घंटे सुरक्षा** सेवाएं लेने के लिए ई-निविदाएं आमंत्रित करता है। यह निविदा एक वर्ष की अवधि के लिए है जिसे अभिकरण के संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन वार्षिक आधार पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

निविदा प्रक्रिया के लिए समय-सारणी:

निविदा अधिसूचना की तिथि	07-09-2021
पूर्ण रूप से भरी निविदाओं (ऑनलाइन) को प्राप्त करने की अंतिम तिथि	22-09-2021, शाम 5 बजे तक
निविदाओं की तकनीकी बोली खुलने की तिथि एवं समय	24-09-2021, सुबह 11 बजे तक
निविदाओं की वित्तीय बोली खुलने की तिथि एवं समय	तकनीकी रूप से योग्य बोलीदाताओं को सूचित किया जाएगा
बयाना जमा	"शून्य" बोली सुरक्षा घोषणा बोलीदाता द्वारा बोली दस्तावेजों में रखी जाएगी

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, बोलीदाता को बोली जमा करने से पहले https://eprocure.gov.in पर उपलब्ध निविदा दस्तावेज में निहित विवरण देख लेना चाहिए। निविदा दस्तावेज निफ्ट श्रीनगर की वेबसाइट https://www.nift.ac.in/srinagar/के "निविदा" लिंक पर भी देखने के लिए उपलब्ध हैं

टिप्पणी: किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, बोलीदाता अपने प्रश्नों को Estates.srinagar@nift.ac.in पर भेज सकते हैं या +91-7006149501 पर संपर्क कर सकते हैं।

> निदेशक राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर



चयन के लिए पात्रता और मानदंड:

- 1.1) ऐसे फर्म या अभिकरण जिन्हें कम से कम पिछले तीन लगातार वित्तीय वर्षों (2018-19,) 2019-20, 2020-21) में किसी भी सरकारी / अर्ध-सरकारी / स्वायत्त निकायों / राष्ट्रीय स्तर के उच्च शैक्षणिक संस्थानों जैसे आईआईटी, निफ़्ट,एनआईटी, सीयू/ प्रतिष्ठित कंपनियों आदि में सुरक्षा सेवाओं का अनुभव हो। वे संस्थान/संगठन जहां संविदा पर कामम किया गया था, से प्राप्त संतोषजनक प्रदर्शन प्रमाण-पत्र (सरकारी खाते में जीएसटी समय पर जमा करने सहित सभी सांविधिक दायित्वों के अनुपालन के संदर्भ में सफल समापन का उल्लेख) तकनीकी बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 1.2) पिछले प्रत्येक तीन वित्तीय वर्षों यानी 2017-18, 2018-19, 2019-20 में अभिकरण का वार्षिक न्यूनतम आवर्त/टर्न ओवर 20 लाख रुपये या उससे अधिक होना चाहिए (जैसा कि उल्लेख है पिछले तीन वर्षों के आवर्त/टर्न ओवर के लिए सीए प्रमाणित विवरण / प्रमाण-पत्र तकनीकी बोलियों के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।)
- 1.3) निविदाकर्ता को बोली दस्तावेजों के साथ **बयाना जमा के लिए एक बोली सुरक्षा घोषणा** संलग्न करनी होगी।
- 1.4) उचित पर्यवेक्षण, दिन-प्रतिदिन की आवश्यकता के मामले में उचित पहुंच, कार्यस्थल पर गृह प्रबंधन अभिकरण के साथ बेहतर समन्वय के लिए अभिकरण का एक शाखा कार्यालय श्रीनगर में होना चाहिए। यदि अभिकरण का श्रीनगर में कार्यालय नहीं है, तो बोलीदाता को वचन देना होगा कि ठेका आवंटन के एक माह के भीतर श्रीनगर में कार्यालय खोल दिया जाएगा।
- 1.5) सुरक्षा सेवाएँ देने के लिए फार्म/अभिकरण के पास पाया जाने वाला वैध और प्रभावी गुणवत्ता आश्वासन आईएसओ प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जाए)।
- 1.6) निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनी/फर्म/अभिकरण/निगम जो निविदा में भाग ले रहे हैं, उनके पास बोली जमा करने की तारीख पर निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 का वैध लाइसेंस होना चाहिए।
- 1.7) निविदाकर्ता को केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या किसी अन्य संगठन द्वारा कालीसूचित/प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में एक नोटरीकृत हलफनामा बोली के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।
- 2.0) तकनीकी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न होने चाहिए
 - निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पंजीकरण के वैध प्रमाण-पत्र की प्रति
 - पैन कार्ड की प्रति
 - 🗲 फर्म के वस्तु और सेवा कर पंजीकरण की प्रति।
 - विगत 3 वर्षों का आयकर विवरण (आ.व. 2017-18, 2018-19, 2019-20)।
 - ठेका श्रम अधिनियम के तहत सहायक श्रम आयुक्त/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त से जारी लाइसेंस (कम से कम 15 श्रमिकों का)।



- 🕨 कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से पंजीकरण प्रमाणपत्र/कोड संख्या
- > कर्मचारी राज्य बीमा(ईएसआई) से पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बिंद संख्या 1.1 और 1.2 के समर्थन में प्रमाण पत्र।
- पिछले 3 वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 के आवर्त/टर्न ओवर के लिए सीए प्रमाणित विवरण / प्रमाण पत्र की प्रति।
- 🕨 बोली सुरक्षा घोषणा
- फर्म/अभिकरणों के श्रीनगर/बडगाम, जम्मू-कश्मीर में पंजीकृत कार्यालय के साथ-साथ शाखा कार्यालय का पता प्रमाण।

तकनीकी बोली में दी गई जानकारी के आधार पर निफ्ट विवरण का सत्यापन, प्रतिपरीक्षण तथा परिसर का दौरा कर सकता है और बोलीदाताओं को लघुसूची करने के लिए अधिकारियों की संस्तुति हेतु एक समिति का गठन कर सकता है। आवश्यक कर्मियों की आपूर्ति करने में सक्षम और समर्थ फ़र्म या अभिकरणके लघुसूचीयम के लिए परिसर निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। केवल लघूसूचित किए गए बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां विचार के लिए खोली जाएंगी।

निविदाकर्ता योग्यता मानदंडों के तहत सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे। तकनीकी बोली के साथ प्रमाण संलग्न किया जाएगा, तकनीकी बोली के तहत किसी भी मानदंड में विफल रहने पर मूल्य बोली खोलने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

<u>बोलियां जमा करना</u>

- 1. इस निविदा के लिए बोलियां केवल ऑनलाइन माध्यम से केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) https://eprocure.gov.in के माध्यम से स्वीकार की जाएंगी। आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 2. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए फर्म को *https://eprocure.gov.in* पर स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।
- 3. निविदा दस्तावेज निफ्ट श्रीनगर की आधिकारिक वेबसाइट https://www.nift.ac.in/srinagar/ और सीपीपी पोर्टल https://eprocure.gov.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
- 4. बोलीदाता को उन बोलीदाताओं की उपस्थित में जो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होना चाहते हैं (जिनके पास विधिवत समर्थित प्राधिकरण पत्र हो) की उपस्थिती में यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह निविदा के लिए आवेदन करने से पहले उपरोक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।



क) सामान्य निबंधन और शर्तें: -

- 1. जैसा की ऊपर बताया गया है निविदा केवल आधिकारिक निविदा फॉर्म में जमा की जाएगी। किसी अन्य रूप में प्रस्तुत किए जाने पर उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 2. निविदा प्रपत्र के साथ जारी अनुसूची, जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाएँ सूचीबद्ध हैं, में निविदाकर्ता द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।
- 3. निविदा से कोई कागज अलग नहीं किया जाएगा।
- 4. निफ़्ट श्रीनगर के पास चयनित अभिकरण को जम्मू-कश्मीर में किसी भी स्थान पर,जहां भी आवश्यक हो,सुरक्षा सेवाएँ देने के लिए अनुदेश देने का अधिकार है। सुरक्षा-कर्मियों की संख्या समय-समय पर आवश्यकता के अनुसार बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- 5. निर्धारित तिथि एवं समय के बाद किसी भी कारण से प्राप्त होने वाली निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 6. अभिकरण द्वारा किए गए किसी भी सशर्त प्रस्ताव या निविदा फॉर्म में किए गए किसी भी परिवर्तन/सुधार पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी तरह, अपूर्ण और अहस्ताक्षरित उद्धरण अस्वीकार कर दिये जाएंगे।
- 7. भारत सरकार के नीति परिपत्र संख्या 1(2)/2016/एमए दिनांक 10 मार्च 2016 के अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्टार्टअप्स को पूर्व अनुभव और आवर्त मानदंड पर छूट गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने के अधीन लागू होगी।
- 8. निफ्ट के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
- 9. अभिकरण द्वारा उद्धृत दरें निर्दिष्ट कार्य के दायरे के अनुसार उचित होनी चाहिए। अन्य कोई भी उदग्रहणीय व्यय का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।
- 10.अभिकरण द्वारा प्रस्तुत उद्धरण वित्तीय बोली खुलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहना चाहिए।
- 11.प्रत्येक निविदा के साथ बयाना जमा के लिए बोली सुरक्षा घोषणा होनी चाहिए।
- 12.यदि कोई अभिकरण सेवाओं की सुरक्षा संविदा मिलने पर काम करने से इनकार करता है, तो निफ्ट श्रीनगर बोली लगाने वाले को तीन साल की अविध के लिए निलंबित/प्रतिबंधित करने का अधिकार सुरिक्षित रखता है। इसी तरह, यदि चयनित अभिकरण संविदा के कार्यकाल को संतोषजनक रूप से पूरा करने में विफल रहती है, तो उसे तीन साल की अविध के लिए निफ्ट के साथ कम करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा
- 13.यदि बोली खुलने और प्राप्त होने की निर्धारित तिथि पर निफ्ट कार्यालय के बंद रहने या अवकाश घोषित होने की स्थिति में बोली जमा करने की तारीख उपरोक्त नियत समय पर अगला कार्यदिवस होगी।



- 14.पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले बोलीदाता अयोग्यता के अधीन हैं यदि:
- 1) उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए फॉर्म (फॉर्मों), विवरणों और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत जानकारी दी गई।
- 2) उन्हें किसी विभाग/संगठन द्वारा कालीसूची में/प्रतिबंधित/वर्जित पाया गया।
- 15.निफ़्ट के पास परिसर तथा सुरक्षा-प्रक्रिया के किसी भी समय निरीक्षण का निरंकुश अधिकार होगा तथा आभिकरण प्राधिकारियों को सहयोग देगा।
- 16. अधिक अद्यतन जानकारी/संशोधन के लिए, बोलीदाताओं को निफ्ट श्रीनगर की वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। निफ्ट समाचार पत्रों में सूचनाएं जारी करने या व्यक्तिगत पत्राचार करने के लिए बाध्य नहीं है।
- 17. अभिकरण जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा,श्रम कानूनों या किसी भी अन्य लागू कानून केन्द्रीय या राज्यीय के संबंध में सांविधिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए सभी कानूनों, विनियमों, नियमों और निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, वाणिज्यिक कर, नगर निगम आदि के साथ पंजीकरण भी शामिल हैं। ऐसे सभी सांविधिक पंजीकरणों की स्व-सत्यापित प्रतियों को निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 18.अभिकरण सुरक्षा-कर्मियों को अपने कर्तव्य निभाने के लिए सुवाह्य हैवी ड्यूटी सर्च लाइट, सीटी, टॉर्च और छड़ी देंगे। वित्तीय बोली में सेवा शुल्क उद्धृत करते समय बोलीदाता ऐसी लागत/व्यय के आवश्यक प्रावधानों को बताएँगे।
- 19. अभिकरण निफ्ट परिसर में प्रभारी संपदा अधिकारी के साथ संपर्क करेगा और सुरक्षा सेवाओं की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को जब भी जांचने की आवश्यकता हो, उन्हें रिपोर्ट करेगा। अभिकरण समय-समय पर पदधारित अधिकारी को पूरा सहयोग देगा।
- 20.ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को समय-समय पर प्रचलित निफ्ट के विभिन्न नियमों और विनियमों का पालन करना होगा।
- 21.ठेकेदार वर्ष में दो बार अग्निशमन उपकरण के बारे में जानकारी देगा तथा आग लाग्ने की स्थित में अग्निशमन के कार्य के लिए जिम्मेदार होगा। निफ़्ट श्रीनगर के पदधारित अधिकारी के करीबी सहयोग से हर महीने नलकों की जांच की जानी चाहिए। इन गतिविधियों में कोई भी अतिरिक्त शुल्क निफ़्ट द्वारा वहन नहीं किया जाएगा।
- 22.निफ्ट श्रीनगर और अभिकरण की एक संयुक्त सिमिति (निफ्ट श्रीनगर से दो सदस्य और अभिकरण से एक सदस्य) के माध्यम से उम्मीदवारों की जाँच के बाद चयनित अभिकरण निफ्ट श्रीनगर में सुरक्षा-गार्डों को परिनियोजित करेगा।जिन सुरक्षा गार्डों ने निफ़्ट श्रीनगर में पहले भी काम किया है उनके निफ़्ट श्रीननगर में परिनियोजन के निर्धारण के लिए जांच के समय उन्हें उचित अवसर दिया जाएगा।
- 23.ठेकेदार सभी मौजूदा श्रम कानूनों और अधिनियमों जैसे कि अनुबंध श्रम विनियमन अधिनियम, कर्मकार मुआवजा अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, भविष्य



निधि अधिनियम,कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम आदि का पालन करेगा। संविदा की वैधता के दौरान लागू किसी भी श्रम कानून के गैर-अनुपालन के संबंध में ठेकेदार की ओर से किसी भी चूक या उल्लंघन के मामले में ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और यदि ठेकेदार की ओर से चूक के लिए संस्थान को उत्तरदायी ठहराया जाता है तो ठेकेदार संस्थान को क्षतिपूर्ति करेगा।

- 24.ठेकेदार निफ्ट को ठेका कार्य करने के लिए लगे सभी कामगारों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिसमें नाम, आयु, घर का पता, योग्यता आदि का उल्लेख होगा और इस विवरण में जब भी कोई परिवर्तन होगा तो सूचित करेगा। ठेकेदार किसी भी समय किसी अवयस्क को संविदा के तहत काम करने के लिए नियुक्त नहीं करेगा। ठेकेदार सुरक्षा सेवाएँ देने के लिए परिनियोजित कर्मियों को उचित वर्दी जारी करेगा।
- 25. ठेकेदार यह वचन देगा कि उसके कर्मचारियों द्वारा चोरी सहित किसी भी प्रकार की भूल-चूक एकमात्र उसकी जिम्मेदारी होगी और साथ ही वह, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से अपने कर्मचारियों के कारण होने वाली किसी भी हानि या क्षित या चोरी के लिए संस्थान को तुरंत क्षितिपूर्ति करेगा।
- 26.किसी भी पक्ष (निफ्ट श्रीनगर या अभिकरण) को दूसरे पक्ष को 30 दिन का नोटिस देकर संविदा समाप्त करने का अधिकार होगा।
- 27.उपरोक्त के बावजूद, यदि अभिकरण संविदा या भारत सरकार के किसी भी मानदंड का उल्लंघन/अतिक्रमण करता है तो निफ्ट के पास अभिकरण को बिना सूचना अवधि दिए अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है।
- 28.यदि किसी भी समय यह पता चलता है कि सफल बोलीदाता द्वारा संविदा को उपट्टे पर दिया गया है या किसी अन्य संस्था को सौंपा गया है तो संस्थान सफल बोलीदाता को कोई समय दिए बिना संविदा को त्रंत समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 29.ठेकेदार और उसके कर्मचारी निफ़्ट प्राधिकारियों की और से समय-समय पर दिए गए अनुदेशों औए निदेशों का अनुपालन करेंगे। किसी भी आपात स्थिति में ठेकेदार का कर्मचारी ठेकेदार से पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना निफ़्ट प्राधिकारियों द्वारा दिये गए अनुदेशों का पालन करेगा।
- 30. संविदा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने, निष्पादन प्रतिभू जमा करने संबंधी सभी औपचारिकताओं को पूरा करने की तारीख से एक वर्ष की अविध के लिए वैध होगा। तथापि, संविदाकार की संतोषजनक सेवाओं/कार्यनिष्पादन के आधार पर पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर वार्षिक आधार पर दो वर्ष की अविध के लिए संविदा का नवीनीकरण किया जा सकता है। यदि अभिकरण की सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं, तो संविदा की अविध पूरी होने से पहले ही संस्थान द्वारा संविदा को समाप्त किया जा सकता है, जो अभिकरण के लिए बाध्यकारी होगा।
- 31.इस ठेके के तहत कार्य करने के लिए ठेकेदार द्वारा लगाए गए सभी श्रमिकों को ठेकेदार के अभिकरण के कर्मचारी माना जाएगा। अभिकरण उनके वेतन, अनुषंगी लाभों, आचरण, कार्य तालिका, अवकाश अभिलेख, भार-मुक्ति आदि के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।



- 32.अभिकरण अपने कर्मियों को फोटो पहचान-पत्र भी उपलब्ध कराएगा, जिसे आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा पर्यवेक्षकों द्वारा जांचा जाएगा।
- 33.अनुबंध में उल्लिखित किसी भी निबंधन और शर्तों का पालन न करने को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा।
- 34.सुरक्षा ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियुक्त कर्मचारी बीड़ी, सिगरेट या मादक पेय का सेवन नहीं करेंगे और न ही उन्हें परिसर में पान, गुटखा, तंबाकू सामग्री आदि चबाने की अनुमित होगी।
- 35.चयनित अभिकरण को 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प कागज़ पर निफ्ट श्रीनगर के साथ एक समझौता करना होगा, जिसमें इस सूचना आमंत्रित निविदा के प्रासंगिक खंडों के साथ-साथ अन्य पारस्परिक रूप से सहमत शर्तें भी शामिल होंगी।
- 36. संविदा के उल्लंघन के लिए संविदा में निहित दंडात्मक प्रावधानों के बावजूद, यदि ठेकेदार किसी अप्रत्याशित घटना खंड के तहत हुई घटना के परिणाम स्वरूप संविदा में दिए गए अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल हो जाता है तो ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा।
- 37.निफ्ट श्रीनगर के पास संविदा के सफल संचालन के लिए किसी भी कठिनाई/विसंगति को दूर करने का अधिकार होगा।

ख) मध्यस्थता:-

- 1. सेवा अनुबंध से उत्पन्न होने वाले विवाद, यदि कोई हो, को पार्टियों के बीच आपसी चर्चा द्वारा 30 दिनों के भीतर सुलझाया जाएगा।
- 2. यदि किसी एक पक्ष द्वारा सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पक्षों के बीच कोई सौहार्दपूर्ण समाधान या समझौता नहीं होता है, तो विवाद/मतभेदों को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निफ्ट निदेशक द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।
- 3. निबंधनों और शर्तों की व्याख्या के संबंध में निफ्ट का निर्णय अंतिम और अभिकरण पर बाध्यकारी होगा।
- 4. मध्यस्थता की कार्यवाही की भाषा अंग्रेजी होगी। मध्यस्थ सशब्द और उचित अधिनिर्णय देगा।
- 5. ऊपर बताए अनुसार मध्यस्थता की विफलता के मामले में, श्रीनगर/बडगाम (जम्मू और कश्मीर) में उपयुक्त अदालतों के पास मामले पर न्यायनिर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होगा।

ग) वित्तीय निबंधन व शर्तै:-

1. ठेकेदार मासिक बिल के साथ निफ्ट श्रीनगर को निफ्ट के अभिहित अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित



बायोमेट्रिक उपस्थिति पत्रक की प्रतियां जमा करेगा। जीएसटी रिटर्न के साथ ईसीएस, ईएसआई, ईपीएफ जमा के चालान की प्रमाणित प्रति के साथ पिछले महीने के वेतन रजिस्टर की प्रतियां भी हर बिल के साथ जमा करनी होंगी।

- 2. निफ्ट भविष्य निधि, ईएसआई, कामगार मुआवजा, बोनस, पेंशन लाभ या भत्ते जैसे लाभों को जारी करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। हालांकि, संविदा की वैधता अविध में न्यूनतम मजदूरी अिधनियम या किसी अन्य श्रम कानून या ईपीएफ, ईएसआई आिद सिहत अन्य सांविधिक दायित्वों के तहत मूल वेतन में कोई भी वृद्धि भारत सरकार के सुसंगत अनुदेशों पर विचार करने के बाद निफ्ट द्वारा वहन की जाएगी। इसी तरह, यिद सांविधिक दायित्वों की दर घटती है, तो अभिकरण के मासिक बिलों में भी इस राशि को घटाया जाएगा।
- 3. ठेकेदार के बिलों का भुगतान करते समय प्रचलित कानूनों के अनुसार आयकर की कटौती स्रोत पर की जाएगी।
- 4. जिस अभिकरण को ऑर्डर दिया जाएगा उसे निष्पादन प्रतिभूति(यानी 12 महीने के लिए संविदा के मूल्य का 3% निफ्ट श्रीनगर के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / बीजी के रूप में जमा करना होगा, जो श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में देय होना चाहिए) तथा अभिकरण के सभी संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होना चाहिए। हालांकि, अभिकरण द्वारा प्रदान की गई असंतोषजनक सेवा या समझौते के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, निष्पादन प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में निफ्ट द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- 5. तकनीकी बोली के मूल्यांकन के बाद सूचीबद्ध बोलीदाताओं में से गृह प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय बोली में दिए गए सेवा शुल्क/लाभ गुंजाइश के तहत उद्धृत दर के आधार पर न्यूनतम एल1 बोली ई-निविदा को अंतिम रूप देते समय तय की जाएगी। यदि दो या दो से अधिक निविदाकार समान दरों/समान लाभ गुंजाइश को उद्धृत करते हैं, तो निविदा प्रस्तुत करने के समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार समान सरकारी संगठनों में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का अधिकतम अनुभव रखने वाले निविदाकार को वरीयता दी जाएगी। समिति की सिफारिशें और निदेशक, निफ्ट श्रीनगर का निर्णय सभी प्रकार से अंतिम होगा और सभी निविदाकारों को स्वीकार्य होगा।

घ) कर्मचारियों का वेतन:-

1. केंद्र सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार ठेकेदार सभी कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करेगा। हालांकि, अनुबंध की वैधता अविध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम या किसी अन्य श्रम कानून या ईपीएफ, ईएसआई आदि सहित अन्य सांविधिक



दायित्वों के तहत मूल वेतन में कोई भी वृद्धि भारत सरकार के सुसंगत अनुदेशों पर विचार करने के बाद निफ्ट द्वारा वहन की जाएगी। इसी तरह, यदि सांविधिक दायित्वों की दर घटती है, तो अभिकरण के मासिक बिलों में भी इस राशि को घटाया जाएगा।

- 2. ठेकेदार अपने सभी कर्मचारियों को भुगतान की जा रही मजदूरी के पूरे विवरण के साथ हर महीने वेतन पर्ची अनिवार्य रूप से जारी करेगा। वेतन विवरण निफ्ट श्रीनगर परिसर में सूचना पट्ट पर भी लगाया जाएगा।
- 3. सेवा प्रदाता और उसके कर्मचारी ईपीएफ, ईएसआई आदि में उन सभी सांविधिक दायित्वों के लिए अंशदान देंगे, जो समय-समय पर जारी सरकारी अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार अनिवार्य हैं। निफ्ट में परिनियोजित किमेंयों के लिए अलग चालान और ईसीआर, बिल के साथ जमा किए जाएंगे और ये उस सेवा प्रदाता के अन्य सदस्यों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। वेतन का भुगतान और संबंधित अधिकारियों को उस महीने के लिए भुगतान का प्रेषण करने के बाद, सेवा प्रदाता महीने की 15 तारीख को या उससे पहले प्रतिपूर्ति के लिए निफ्ट को दो प्रतियों में बिल देगा और बिल का निपटारा 10 दिनों के भीतर किया जाएगा। बिल को उपस्थिति विवरण, बैंक में गृह प्रबंधन किमेंयों के संबंध में उस महीने के लिए प्रेषित मजदूरी का ईसीएस विवरण और सांविधिक भुगतान यानी ईपीएफ/ईएसआई प्रेषण चालान, फॉर्म -7 आदि के साथ विशेष रूप से निफ्ट के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- 4. ठेकेदार को बाद के महीने के भुगतान का दावा करने के लिए पिछले महीने के पीएफ और ईएसआई बकाया के भुगतान के प्रमाण जमा करने होंगे। बिल जमा करते समय, सेवा प्रदाता को निम्नलिखित प्रमाणित करते हुए एक प्रमाण-पत्र दाखिल करना होगा:
 - सुरक्षा कर्मियों का वेतन उनके बैंक खाते में दिनांक.... को जमा किया गया:
 (बैंक विवरण की प्रति संलग्न की जाए)
 - सुरक्षा कर्मियों की राशि से संबंधित ईपीएफ अंशदान रु..... दिनांक:... को जमा किए गए।
 (ईसीआर व चालान की प्रति संलग्न की जाए)
 - सुरक्षा कर्मियों की राशि से संबंधित ईएसआई अंशदान रु... दिनांक:... पर जमा किए गए (फॉर्म -7 और चालान की प्रति संलग्न की जाए)।
 - हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम सहित सभी सांविधिक श्रम कानूनों का पालन कर रहे हैं।
- 5. मासिक बिल जमा करते समय, ठेकेदार स्पष्ट रूप से सभी श्रमिकों का वेतन विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें अनुरोध किया जाएगा कि मजदूरी बैंक में बनाए गए उनके व्यक्तिगत खातों में जमा की जाए। निफ्ट बैंक से श्रमिकों को भुगतान किए गए वेतन को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



- 6. ठेकेदार यह भी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक योग्य कर्मचारी ईएसआई अधिनियम 1948 और ईपीएफ अधिनियम 1952 के प्रावधानों के तहत संरक्षित किया गया है।
- 7. भुगतान पूर्णतया संतोषजनक कार्य और नियोजित श्रमिकों की दैनिक उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा।
- 8. ठेकेदार को मासिक बिलों के साथ पीएफ और ईएसआई के भुगतान के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

ङ) कार्य का दायरा और विशेष शर्तें: सुरक्षा सेवा संविदा:-

- 1) निफ्ट के निर्देशानुसार निफ्ट परिसर या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में किसी अन्य स्थान पर शनिवार, रविवार और छुट्टियों सहित चौबीसों घंटे सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी।
- 2) सुरक्षा एजेंसी निफ्ट श्रीनगर/छात्रावास में योग्य और अनुभवी सुरक्षा पर्यवेक्षक और सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करेगी। उन्हें साक्षर (कम से कम 10 + 2 पास प्रमाण-पत्र वाला पर्यवेक्षक और कम से कम 8 वीं पास प्रमाण-पत्र वाले गार्ड), हिंदी / उर्दू और अंग्रेजी भाषा पढ़ने, लिखने और समझने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें औद्योगिक सुरक्षा के क्षेत्र में और अग्निशामक उपकरणों को संभालने में प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण होना चाहिए। गार्ड अपनी तैनाती के समय भारतीय चिकित्सा परिषद से पंजीकृत अधिकृत अधिकारी से जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र-प्रस्तुत करेंगे। निफ्ट श्रीनगर में सुरक्षा गार्डों को तैनात करते समय, एजेंसी इच्छुक उम्मीदवारों के आवश्यक जीवन-वृत्त को एक संयुक्त सिमित के समक्ष रखेगी। इस सिमित में निफ्ट श्रीनगर के दो सदस्य और एजेंसी से एक सदस्य मूल्यांकन और अंतिम चयन करने के लिए शामिल होगा। मौजूदा एजेंसी के माध्यम से निफ्ट श्रीनगर में पहले से कार्यरत सुरक्षा-कर्मी/जनशक्ति को निफ्ट श्रीनगर में नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा।
- 3) सुरक्षा पर्यवेक्षकों और गार्डों ड्यूटी पर रहते हुए सभी सामान जैसे टोपी, जूते, बेल्ट आदि के साथ उचित वर्दी में अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। वर्दी और अन्य वस्तुओं की व्यवस्था, निफ्ट द्वारा कोई अन्य लागत वहन किए बिना, एजेंसी द्वारा की जाएगी। एजेंसी प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को वर्दी (सभी मौसम) के कम से कम 02 सेट गर्मी के और 2 सेट सर्दियों के देगी जिसमें जूते, टोपी, स्वेटर, जैकेट, रेनकोट सहित जूते की पॉलिश और जूता ब्रश आदि शामिल हैं। तैनात सुरक्षा गार्डों को नाम पट्टी उपलब्ध कराई जाए। वर्दी पुलिस और अन्य बल से अलग होगी, गहरे नीले /स्लेटी रंग को प्रधानता दी जाए। गार्डों/पर्यवेक्षकों को कंधे/टोपी के बैज पर अध्यक्षीय सितारे पहनने की अनुमति दी जानी चाहिए। वित्तीय बोली में सेवा शुल्क उद्धृत करते समय बोलीदाता द्वारा ऐसी लागत/व्यय के आवश्यक प्रावधान रखे जाएंगे।
- 4) यदि किसी भी समय कोई सुरक्षाकर्मी किसी भी प्रकार से कदाचार का दोषी पाया जाता है, तो सुरक्षा एजेंसी को उस व्यक्ति को बदलने के लिए कहा जाएगा।
- 5) एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निफ्ट परिसर और छात्रावास परिसर, जिसमें भूमि, इमारत आदि



शामिल हैं, पर अधिकृत व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण/कब्जा नहीं किया गया है।

- 6) सुरक्षा कर्मियों को साफ-सुथरी वर्दी में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है, जिसके लिए आवश्यकता के अनुसार धुलाई भत्ता / डिटर्जेंट पाउडर दिया जाए, एजेंसी को इसका खर्च वहन करना होगा। एजेंसी सभी सुरक्षा कर्मियों को पहचान बैज (जिस पर कर्मचारियों का नाम दिखे) प्रदान करेगी जो ड्यूटी के दौरान सुरक्षा कर्मियों की वर्दी पर दिखाई देना चाहिए।
- 7) जिन सुरक्षा कर्मियों को कर्तव्य सौंपा गया है उन्हें संस्थान परिसर और छात्रावास परिसर में कर्मचारियों, छात्रों और आगंतुकों के साथ विनम्रता और शिष्टता से व्यवहार करना चाहिए। यदि कोई सुरक्षा कर्मचारी किसी भी प्रकृति के दुर्व्यवहार या दुराचार में लिप्त पाया जाता है, तो सुरक्षा एजेंसी को उस व्यक्ति को तुरंत बदलने के लिए कहा जाएगा। यह निफ्ट परिसर के स्वागत क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सुरक्षा गार्ड की जिम्मेदारी होगी कि वह सभी आगंतुकों का सक्रिय और उचित रूप से स्वागत और परिचर्या करे।
- 8) सुरक्षा एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का विवरण जैसे नाम, आयु, फोटो, पता, योग्यता, पिछले सेवा अनुभव आदि निफ्ट, श्रीनगर को जमा किया जाना चाहिए। पहले महीने का वेतन जारी करने से पहले एजेंसी द्वारा संबंधित पुलिस चौकी से सुरक्षा कर्मियों का पूर्ववृत्त लिया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, सुरक्षा एजेंसी को अपेक्षित विस्तृत जानकारी और पासपोर्ट आकार की तस्वीरें जमा करनी चाहिए और सत्यापन कराने में सहयोग देना चाहिए।
- 9) अंदर आने वाले/बाहर जाने वाले कर्मियों की नियमित जांच द्वारा मुख्य द्वार पर पूर्ण सुरक्षा बनाए रखने और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसी की होगी। जहां तक आगंतुकों का संबंध है, सुरक्षा कर्मियों को इस बात पर बल देना चाहिए कि वे रजिस्टर में अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर, यात्रा का उद्देश्य और जिस व्यक्ति से वे मिलना चाहते हैं उसका नाम लिखें और उसके बाद ही सुरक्षा कर्मी एक आगंतुक पास जारी करें। आगंतुक के वापस जाने पर आगंतुक पास, संबंधित अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, वापस लिया जाना चाहिए।
- 10)सुरक्षा गार्डों द्वारा अंदर आने वाली और बाहर जाने वाली सभी वस्तुओं व माल की अच्छी तरह से जाँच की जानी चाहिए। सुरक्षा गार्डों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निफ़्ट की संपत्ति चाहे उपकरण हो या सामग्री, अधिकृत अधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उचित गेट-पास के बिना परिसर से बाहर ले जाने की अनुमित न हो।
- 11)सुरक्षा गार्ड निपटान के लिए निकाले जा रहे कचरे/अपिशष्ट की भी जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी उपयोगी वस्तु निपटान के लिए बाहर नहीं गई है।
- 12)निफ्ट संकाय, स्टाफ और छात्रों की कारों/स्कूटरों/मोटर साइकिलों को आवंटित स्थान पर ही पार्किंग की अनुमति दी जाए। साथ ही, सरकारी अधिकारियों/अन्य वीआईपी के वाहनों को परिसर के अंदर



पार्किंग की अनुमित दी जा सकती है। तथापि, आगंतुकों के वाहन निर्दिष्ट क्षेत्र में मुख्य द्वार के बाहर पार्क किए जाने चाहिए।

- 13)सुरक्षा गार्ड परिसर से बाहर निकलते समय कर्मचारियों और छात्रों के दो पहिया और चार पहिया वाहनों की यादृच्छिक जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निफ्ट की कोई भी संपत्ति अनिधकृत तौर पर बाहर नहीं ले जाई जा रही है। इसी तरह स्टाफ और छात्रों की यादृच्छिक तलाशी की जाए। वाहनों की ऐसी जांच या कर्मियों की तलाशी सभ्य तरीके से की जानी चाहिए। महिला सुरक्षा गार्ड/ कर्मचारी ही छात्राओं की तलाशी लें।
- 14)निफ्ट अधिकारी दिन या रात के किसी भी समय औचक निरीक्षण कर सकते हैं। ड्यूटी के घंटों के दौरान यदि कोई सुरक्षा गार्ड लापता या सोता हुआ या नशे में पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत बदलना होगा। ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझे जाने पर निफ्ट आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई करने या 1,000/- या उससे अधिक रुपये का जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- 15) एजेंसी द्वारा खराब सेवा या निफ्ट श्रीनगर के निर्देशों का पालन करने में विफलता के मामले में, एजेंसी पर मासिक बिल राशि के 2% की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। एजेंसी द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई या अनुपालन करने में विफलता के मामले में, प्रदर्शन सुरक्षा की जब्ती सहित अन्य कार्यों के साथ अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।
- 16)परिसर में होने वाली किसी भी घटना या दुर्घटना जैसे डकैती, तोड़फोड़, आग, सांप्रदायिक दंगा, भूकंप आदि की स्थिति में,ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत निफ्ट अधिकारियों को सूचित करेंगे। निफ्ट अधिकारियों के आवासीय फोन या मोबाइल फोन नंबरों की सूची मुख्य द्वार पर सुरक्षा-कर्मियों के पास उपलब्ध होगी। यदि निफ्ट अधिकारियों को संदेश तुरंत नहीं भेजा जाता है तो सुरक्षा एजेंसी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
- 17)कार्य दिवसों पर कार्यालय समय के बाद और रिववार/छुट्टियों के दिन, मुख्य द्वार पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा पर्यवेक्षक/गार्ड को अन्य संस्थानों/संगठनों से भी फोन कॉल/संदेश प्राप्त होंगे और मामले की तात्कालिकता के आधार पर, ऐसे संदेशों को निफ्ट के संबंधित अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा।।
- 18)सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संस्थान की संपत्ति या सामग्री को हुए किसी नुकसान या हानि के मामले में, सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी, और संस्थान को एजेंसी को देय अनुबंध शुल्क से उचित राशि की कटौती करने का अधिकार होगा। निफ्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित हानि या क्षति की राशि सुरक्षा एजेंसी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।
- 19)इसी प्रकार, संस्थान में सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही के कारण हुई चोरी, आग या किसी अन्य क्षित के लिए सुरक्षा एजेंसी जिम्मेदार होगी। ऐसे मामलों में संस्थान के निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा निर्धारित क्षिति की राशि सुरक्षा एजेंसी के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगी।
- 20)ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी, अपनी 8:00 घंटे की ड्यूटी पूरी होने पर तब तक ड्यूटी स्थल नहीं



छोड़ेंगे, जब तक कि ड्यूटी पर अगला व्यक्ति/या भार-मोचक कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। यदि कोई सुरक्षा गार्ड बीमार हो जाता है, तो सुरक्षा एजेंसी अपने स्वयं के खर्च पर अपने सुरक्षा गार्डों में से एक भार-मोचक व्यक्ति को उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार होगी।

- 21) सुरक्षा एजेंसी दैनिक आधार पर बड़ी / छोटी घटनाओं का रिकॉर्ड बनाए रखेगी और निफ्ट अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट करेगी। इस संबंध में, एजेंसी परिसर में हो रही चोरी, अनुशासनहीनता, अवज्ञा, या किसी भी अनाधिकृत गतिविधियों / आपराधिक गतिविधियों जैसी किसी भी घटना के बारे में भी पूछताछ करेगी। सुरक्षा एजेंसी/सुरक्षा पर्यवेक्षक ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराने और खोई हुई सामग्री/उपकरण की वसूली के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
- 22)मुख्य द्वार पर सुरक्षाकर्मी संस्थान के परिवहन वाहन और साथ ही परिवहन ठेकेदार से किराए पर लिए गए वाहनों के लिए एक लॉग-बुक/रजिस्टर भी रखेंगे।
- 23)सुरक्षा एजेंसी विशेष रूप से कार्यालय समय के बाद परिसर में गश्त सहित निर्दिष्ट विभिन्न बिंदुओं पर नजर रखेगी। किसी भी समय बिजली गुल होने की स्थिति में सुरक्षाकर्मी आपातकालीन लाइटों का प्रयोग करें और उन्हें सुविधाजनक स्थानों पर लगाएं, साथ ही गश्त भी तेज करें। सुरक्षा गार्ड बिजली और पानी की बर्बादी से बचेंगे और इसकी जांच भी करते रहेंगे।
- 24)सुरक्षा एजेंसी अपने खर्च पर वर्दी के साथ-साथ ड्राई सेल के साथ टॉर्च, छाता, सीटी और डंडों, या अपने गार्ड कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों के लिए आवश्यक कोई अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसी प्रत्येक पाली में ड्यूटी पर तैनात अपने पर्यवेक्षक को आपातकालीन स्थितियों में संचार की सुविधा के लिए एक मोबाइल टेलीफोन प्रदान करेगी।
- 25)दूसरी और तीसरी पाली में तैनात सुरक्षा गार्डों को नियमित रूप से रात्रि-गश्त करते रहने की आवश्यकता होगी।
- 26)सुरक्षा एजेंसी, पर्यवेक्षक और गार्ड संस्थान की सुरक्षा नीति का कड़ाई से पालन करेंगे।
- 27)सेवा प्रदाता/एजेंसी कर्मी किसी भी व्यक्ति को कार्यालय, परिचालन प्रक्रिया, और तकनीकी जानकारी, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक/संगठनात्मक मामलों के किसी भी विवरण का खुलासा नहीं करेंगे क्योंकि सभी गोपनीय/गुप्त प्रकृति के हैं।
- 28)यदि एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को कोई शिकायत है, तो वे परिसर में कोई गड़बड़ी पैदा किए बिना इसे एजेंसी के पास उठाएंगे। किसी भी परिस्थिति में एजेंसी के कार्यकर्ताओं द्वारा परिसर में आंदोलन के सामान का सहारा नहीं लिया जाएगा। अनुबंध की समाप्ति पर एजेंसी बिना किसी गड़बड़ी के सभी श्रमिकों के साथ शांति से परिसर छोड़ने का वचन देगी। यदि एजेंसी में लगे कर्मचारी दुर्व्यवहार करते हैं या समस्याएँ पैदा करते हैं, तो एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार होगी।
- 29)सुरक्षा एजेंसी के पास सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अस्पतालों, पुलिस थानों, स्थानीय अधिकारियों और निफ्ट के अधिकारियों के संपर्क नं. (टेलीफोन/मोबाइल) होंगे।



- 30)परिसर के विभिन्न क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा गार्ड अपने-अपने क्षेत्रों में गृह-प्रबंधन कार्य पर नज़र रखने/पर्यवेक्षण करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
- 31)एजेंसी सरकार के मानदंडों के अनुसार अपने कर्मचारियों को उचित छुट्टी देगी। छुट्टी पर गए व्यक्तियों के बदले, एजेंसी अपने स्वयं के खर्च से कर्मियों को तैनात करेगी।
- 32)सुरक्षा एजेंसी अपने सुरक्षा कर्मचारियों से किसी भी राशि की मांग/कटौती तब तक नहीं करेगी जब तक कि यह इस अनुबंध या किसी सरकारी नियम के तहत प्रदान नहीं किया जाता है।
- 33)सुरक्षा एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वे अन्य देनदारियों के साथ-साथ उनके सेवा शुल्क/लाभ गुंजाइश के लिए वाणिज्यिक बोली में अपनी दरों की पेशकश करें। केंद्र सरकार के अनुसार न्यूनतम वेतन वाणिज्यिक बोली के प्रारूप में दर्शाया गया है जिसमें 30 दिनों के लिए काम किया जाता है।
- 34)चयनित फर्म सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति को चिह्नित करने के लिए बायोमेट्रिक मशीन का पूरा सेट स्वयं स्थापित करेगी। बॉयोमीट्रिक मशीन के पूर्ण सेट अप के इंस्टालेशन या नियमित रखरखाव के मामले में निफ्ट कोई लागत वहन नहीं करेगा।
- 35)कार्य का दायरा संस्थान की सुरक्षा आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से और कुशलता से पूरा करना है और इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:
 - पहरे और निगरानी के लिए नियुक्त व्यक्ति सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से उचित निगरानी में सक्षम होना चाहिए।
 - > अप्राधिकृत व्यक्तियों और वाहनों के प्रवेश को रोकना
 - वाहनों के प्रवेश और निकास को विनियमित करना
 - सामग्री के प्रवेश और निकास को विनियमित करना (उचित गणना के बाद आवक / जावक प्रवेश)
 - निफ्ट संपत्ति की चोरी, हानि और क्षति की रोकथाम
 - 🕨 गृह-प्रबंधन सेवाओं पर निगरानी, सतर्कता
 - > परिसर में लगातार गश्त करते रहना
 - जरूरत पड़ने पर अग्निशमन
 - आवारा पशुओं को परिसर से भगाना
 - चल और अचल संपत्ति की सुरक्षा
 - सभी कार्यालय कक्षों की नियमित जांच और लाइट, पंखे, पावर प्वाइंट, एयरकंडीशनर आदि बंद करना।
 - अत्यावश्यकता के दौरान सुरक्षा गार्डों से अतिरिक्त सहायता भी ली जा सकती है।
 - 🗲 कार्यालय बंद होने पर टेलीफोन कॉल उठाना और टेलीफोन संदेश / संचार का रिकॉर्ड रखना।
 - रिकॉर्ड रखना
 - 🕨 संस्थान के सुरक्षा मुद्दों से संबंधित कोई अन्य कार्य

और अन्य सभी कार्य जो संस्थान की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से पूरा करने के लिए आवश्यक



हैं। कार्य के दायरे में संस्थान की सभी सुरक्षा आवश्यकताओं को स्वतंत्र रूप से संभाल कर प्रवेशन, प्रशिक्षित सुरक्षा किमेंयों की तैनाती, चेक पोस्ट की निरंतर निगरानी, अग्नि सुरक्षा अभ्यास सिहत आपातकालीन अभ्यास, औचक जांच, सुरक्षा मामलों की रिपोर्टिंग और समीक्षा करना और सुधार के उपायों की सिफारिश करना शामिल है।

दर संविदा में प्रासंगिक और आकस्मिक प्रकृति का कोई भी कार्य शामिल होगा, हालांकि निविदा में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन सुरक्षा सेवा को कुशल तरीके से पूरा करने के लिए यह आवश्यक है।



सुरक्षा ठेकेदार द्वारा वचनबंध

हमने निफ्ट, श्रीनगर में सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करने के लिए उपरोक्त अनुभाग 'क', 'ख', 'ग', 'घ' और 'ङ' में सूचीबद्ध विभिन्न निबंधन और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है। हम इन सभी शर्तों से सहमत हैं और निफ्ट में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव रखते हैं। हम यह प्रस्ताव शर्तों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद किसी भी स्रोत से किसी भी प्रकार के दबाव या प्रभाव के बिना कर रहे हैं। हमने इस प्रस्ताव को रखने से पहले संस्थान परिसर एवं छात्रावास का निरीक्षण किया है और किए जाने वाले आवश्यक कार्यों से खुद को परिचित कर लिया है। हम ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में इस वचनबंध पर हस्ताक्षर करते हैं।

स्थान: दिनांक:

सुरक्षा अभिकरण/ठेकेदार के हस्ताक्षर	
पता:	
संपर्क सूत्र:	
ई-मेल:-	

अभिकरण की मुहर



बोली-सुरक्षा घोषणा फ़ॉर्म

दिनांक: [दिनांक भरें (दिन, माह और वर्ष के रूप में)]
बोली सं.: []
राष्ट्रीय फ़ैशन प्रौद्योगिकी संस्थान
वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स
रंगरेट, श्रीनगर-191132 जम्मू और कश्मीर
मैं/हम अधोहस्ताक्षर और घोषणा करते हैं कि: मैं/हम समझते हैं कि आपकी शर्तों के अनुसार बोलियों को एक बोली-सुरक्षित घोषणा द्वारा समर्थित होना चाहिए। मैं/हम स्वीकार करते हैं कि यदि हम नीचे सूचीबद्ध बोली-शर्तों के तहत अपने दायित्व का उल्लंघन करते हैं तो हम निफ्ट श्रीनगर के साथ किसी भी संविदा में 3 साल की अवधि तक बोली लगाने के लिए पात्र होने से स्वतः निलंबित हो जाएंगे। शर्तें निम्न हैं: (क) बोली पत्र में निर्दिष्ट बोली वैधता की अवधि में अपनी बोली वापस लेने से; या (ख) बोली की वैधता की अवधि में निफ्ट श्रीनगर द्वारा हमारी बोली की स्वीकृति के बारे में अधिसूचित किए जाने पर, (1) आवश्यक होने पर अनुबंध को निष्पादित करने में विफल होने या मना करने पर, या (2) निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल होने या मना करने पर।
हस्ताक्षर नाम
दिनांक दिन <u>,</u> [हस्ताक्षर करने की तिथि डालें]
कंपनी की मुहर(जहाँ भी उचित हो) [टिप्पणी: एक संयुक्त उद्यम के मामले में, बोली जमा करने वाले संयुक्त उद्यम के सभी भागीदारों के नाम पर बोली-सुरक्षा घोषणा होनी चाहिए।]



फ़ॉर्म-1 <u>तकनीकी बोली</u> <u>निफ्ट श्रीनगर में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने के लिए वार्षिक दर संविदा</u>

1.	अभिकरण का नाम	:		
2.	अभिकरण का पता: _			
3.	फ़ोन.:	(मोबा.)	(ईमेल)	
4	स्वामी/ साझेदार फ़र्म	/कंपनी में से क्या हैं·		

क्र. सं.	आवश्यक दस्तावेज़	संलग्न/संलग्न नहीं	प्रमाण		 सं.
			(आवश्यक	रूप	से
			दी जाए)		
1.	फर्म के निगमन की तिथि। बताएं कि क्या यह साझेदारी				
	है / या स्वामित्व(प्रमाण के लिए एक प्रमाणित प्रति				
	संलग्न करें)				
2.	ईएमडी के लिए बोली सुरक्षा घोषणा				
	(कंपनी/फर्म के पत्र-शीर्ष पर विधिवत मुहर लगी और				
	हस्ताक्षरित)				
	,				
3.	संबंधित संगठन द्वारा जारी किए गए कार्य के सफल				
	समापन के लिए लगातार 3 वर्षों (2018-19, 2019-				
	20, 2020-21) का अनुभव प्रमाण पत्र (कृपया				
	अनुलग्नक 1 और अनुलग्नक 2 पर दिए विवरण के साथ				
	इसकी सत्यापित प्रतियां संलग्न करें)				
4.	पिछले तीन वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 में				
	से प्रत्येक में 20 लाख या उससे अधिक रुपये के वार्षिक				
	आवर्त के समर्थन में प्रमाणित दस्तावेज।				
	(तकनीकी बोलियों के साथ पिछले 3 वर्षों के				
	टर्नओवर/आईटी रिटर्न के लिए सीए प्रमाणित				
	विवरण/प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए)।				



5.	निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम 2005 के	
	अंतर्गत वैध लाइसेंस(इस लाइसेंस के होने का वैध	
	प्रमाण-पत्र सबूत संलग्न किया जाना चाहिए)	
6	सहायक श्रम आयुक्त/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त द्वारा जारी	
	संविदा श्रमिक अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण	
	प्रमाणपत्र/लाइसेंस	
7.	फ़र्म के जीएसटी नंबर की प्रति	
8.	पिछले 3 वर्षों का आयकर (वित्तीय वर्ष 2017-18,	
	2018-19, 2019-20)	
9.	कर्मचारी भविष्य निधि से पंजीकरण प्रमाण-पत्र	
10.	जीएसटी की प्रति	
10.	ईएसआई से पंजीकरण प्रमाण-पत्र	
11.	निविदा के निबंधन और शर्तों की स्वीकृति के प्रतीक में	
	निविदा दस्तावेज के निबंधन और शर्तों और प्रत्येक पृष्ठ	
	पर फर्म की विधिवत मुहर के साथ हस्ताक्षरित प्रति (हाँ/नही)	

12.	निविदाकर्ता को केंद्र या राज्य सरकार के किसी विभाग	
	या किसी सार्वजनिक उपक्रम या किसी अन्य संगठन	
	द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए। इस	
	संबंध में एक हलफनामा (नोटरीकृत) संलग्न किया	
1.6	जाए।	
13.	फर्म अभिकरणों के श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर में शाखा	
	कार्यालय के साथ-साथ पंजीकृत कार्यालय का पता	
	प्रमाण।	



पूरा नाम, हस्ताक्षर और मुहर

- 5. संगठनों के नाम, संपर्क अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण, कुल गार्डों की संख्य, तैनात पर्यवेक्षकों की संख्या, प्रत्येक संविदा के लिए मासिक दर संविदा राशि के साथ पिछले तीन वर्षों (वर्तमान संविदाओं को छोड़कर) के दौरान सुरक्षा अनुबंधों की जानकारी दिखाते हुए एक विवरण संलग्न करें (प्रारूप अनुलग्नक-1 में संलग्न है)।
- 6. सभी मौजूदा/वर्तमान सुरक्षा संविदाओं के लिए उपरोक्त सभी जानकारी एक अलग विवरण में प्रदान करें। (अनुलग्नक-2 में प्रारूप संलग्न है)
- 7. तकनीकी बोली में प्रमाणों के क्रमांक का उल्लेख किया जाना चाहिए।

दिनांक:		
स्थान:		
		प्राधिकृत व्यक्ति का



फॉर्म-2 (वित्तीय बोली)

निफ़्ट श्रीनगर के परिसर एवं छात्रावास के लिए वार्षिक दर संविदा पर सुरक्षा सेवाएँ प्रदान करना

- 1. एजेंसी को श्रम कानूनों के अनुसार प्रत्येक 08 घंटे की पाली के लिए सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक तैनात करने होंगे।
- 2. एजेंसी को प्रारंभ में 08 पुरुष सुरक्षा गार्ड, 03 महिला सुरक्षा गार्ड और 1 सुरक्षा पर्यवेक्षक की प्रतिनियुक्ति निफ्ट श्रीनगर में एक वर्ष की अविध के लिए करनी होगी। ऊपर वर्णित सुरक्षा व्यक्तियों की संख्या को स्थिति की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
- 3. एजेंसी समय-समय पर निफ्ट श्रीनगर द्वारा जारी प्रदत्त-पत्र के अनुसार सुरक्षा गार्ड/पर्यवेक्षक को तैनात करेगी। तैनात गार्ड सरकार के दिशा-निर्देशों / अनुदेशों के अनुसार ड्यूटी पर उपस्थित होंगे।
- 4. सुरक्षा एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि निफ्ट में सुरक्षा सेवाओं में लगे सुरक्षा पर्यवेक्षकों और गार्डों को समय-समय पर क्षेत्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और सांविधिक भुगतान से कम भुगतान नहीं किया जाता है। यदि किसी सुरक्षा एजेंसी द्वारा उद्धृत दरें निर्धारित न्यूनतम मजदूरी और भत्तों से कम हैं, तो ऐसी निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5. बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत अपसामान्य रूप से कम बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसा करने से पहले, निफ्ट श्रीनगर अपने विवेकानुसार बोलीदाता से लिखित स्पष्टीकरण मांग सकता है, जिसमें स्कोप, शेड्यूल, जोखिम और जिम्मेदारियों के आवंटन और बोली दस्तावेज की किसी भी अन्य आवश्यकताओं के संबंध में इसकी बोली मूल्य का विस्तृत मूल्य विश्लेषण शामिल है। यदि मूल्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने के बाद, निफ्ट श्रीनगर यह निर्धारित करता है कि बोलीदाता प्रस्तावित मूल्य बोली पर संविदा देने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने में काफी हद तक विफल रहा है, तो बोली को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा और अनुबंध अगले एल 1 को वित्तीय रूप से संतुलित बोली उद्धृत करते हुए प्रदान किया जाएगा।
- 6. परिशिष्ट-1 के कॉलम बी (सेवा प्रभार/लाभ गुंजाइश) के तहत दरों की पेशकश करते समय ठेकेदार को निविदा दस्तावेज (जैसे सांविधिक घटक, लाभ गुंजाइश, वर्दी, राहत मजदूरी, कर इत्यादि) में वर्णित सभी घटकों को लेना/कवर करना होगा।
- 7. एजेंसी सरकार के मानदंडों के अनुसार अपने कर्मचारियों को उचित छुट्टी देगी।



परिशिष्ट-1

न्यूनतम मजदूरी (मुख्य श्रम आयुक्त कार्यालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली के अनुसार) : आदेश संख्या – 1/16 / (6)/2020-एलएस-द्वितीय, दिनांक 23/04/2021 क्षेत्र बी के तहत पहरे व निगरानी के लिए व्यक्ति (बिना हथियारों के) के लिए न्यूनतम मजदूरी 714 / - प्रति दिन है। (क)

SI.	Type of Workers	Minimum Wages	EPF(@13%)	ESI	Sub Total
N		(Basic	EPF	EDLI	(@	inRs.
0		+ VDA)	along	i.e.	3.25%	
			with	0.5%))	(3+4+5+
		for a month (i.e. 30	Admin	Up to		6)
		days including	charge	ceiling		
		reliever duties)	si.e.	of Rs.		
		Weekly one dayoff is	12.5%	75per		
		mandatory to each		person		
		security person.				
1	2	3	4	5	6	7
(a)	Security Supervisor	22420/-	2802.	75.00	728.6	26026.15/
	under Category Watch		5		5	-
	&Ward (without arms)					
		21420/-				
		(@714per day * 30				
	***Rs 1000/- will be	Days) + Extra Rs				
	paid in extra on	1000/-				
	monthly basis to					
	Supervisor.					
(b)	Security Guard	21420/-	2677.	75.00	696.1	24868.65/
	under Watch & Ward	(@714 per day * 30Days)	5		5	-
	Category (without					
	arms)					

(ख)

Monthly Service Charges/Profit Margin For Each Security Guard/Supervisor					
In Figures	In Words				
(exclusive of GSTas applicable)	(exclusive of GSTas applicable)				



वित्तीय बोली के लिए अनुदेश एवं शर्तें

- 1. किसी अन्य रूप जैसे प्रतिशत आदि में बोली गई बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 2. परिशिष्ट -1 के कॉलम (ख) के तहत राशि (भारतीय रुपये में) उद्धृत करते समय, बोलीदाता को यह ध्यान रखना चाहिए कि उद्धृत राशि से निम्नलिखित खर्चे वहन करने होंगे:
 - जूते, टोपी, स्वेटर, जैकेट, रेनकोट जूता पॉलिश और जूता ब्रश आदि सिहत सभी सामान के साथ वर्दी,
 सामग्री/उपकरण की लागत
 - आयकर के तहत टीडीएस
 - नियमों के अनुसार कर्मचारियों को छुट्टी की अवधि में सवेतन अवकाश और निफ्ट श्रीनगर को वैकल्पिक कर्मी प्रदान करना।
 - कर्मचारियों को नियमानुसार बोनस।
 - अनुबंध के लिए आकस्मिक कोई अन्य खर्च
- 3. उपरोक्त दरें 30 दिनों की अवधि के लिए हैं।
- 4. गणना उपरोक्त तालिकाओं के अनुसार की जानी चाहिए। यदि आवश्यक हो, तो एजेंसी अलग पृष्ठ पर ब्यौरा प्रदान कर सकती है।
- 5. सेवा प्रदाता का सेवा शुल्क/लाभ गुंजाइश सभी श्रेणियों के लिए समान होना चाहिए।
- 6. ऊपर वर्णित सुरक्षा कर्मियों की संख्या को स्थिति की आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, संविदा प्रदान करते समय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा कर्मियों की अंतिम संख्या बताई जाएगी। वर्तमान में, निफ्ट श्रीनगर ने बाह्य स्रोत के आधार पर 12 सुरक्षा गार्डों को काम पर रखा है।
- 7. यदि जीएसटी लागू है तो प्रचलित नियमों के अनुसार भुगतान निफ्ट द्वारा किया जाएगा।
- 8. नियमों के अनुसार जीएसटी पर टीडीएस की कटौती की जाएगी।
- 9. आयकर पर टीडीएस की कटौती बिल की राशि से नियमों के अनुसार की जाएगी और इसे बोलीदाता को वहन करना होगा।
- 10. एल1 सेवा शुल्क/लाभ मार्जिन के आधार पर तय किया जाएगा। न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार को एल-1 माना जाएगा। यदि दो या दो से अधिक निविदाकार समान दरों/समान लाभ मार्जिन को उद्धृत करते हैं, तो निविदा प्रस्तुत करने के समय बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार समान सरकारी संगठन में सुरक्षा सेवा प्रदान करने का अधिकतम अनुभव रखने वाले निविदाकार को वरीयता दी जाएगी। समिति की सिफारिशें और निदेशक, निफ्ट श्रीनगर का निर्णय सभी मामलों में अंतिम होगा और बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।



- 11. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद, संविदा प्रदान करते समय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार सुरक्षा किमेंयों की अंतिम संख्या बताई जाएगी। एजेंसी को भुगतान संस्थान के आवश्यकता कार्य दिवसों के आधार पर जनशक्ति/गार्ड की वास्तविक तैनाती के अनुसार किया जाएगा।
- 12. चयनित एजेंसी जिला बडगाम/श्रीनगर में निफ्ट श्रीनगर द्वारा निर्देशित स्थानों/परिसरों में सुरक्षा प्रदान करेगी।



संविदाकार द्वारा वचनबंध

मैंने निविदा दस्तावेज में उल्लिखित विभिन्न निबंधनों और शर्तों को ध्यान से पढ़ा है। मैं सभी शर्तों से सहमत हूं और निफट श्रीनगर के रंगरेट सिडको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स स्थित परिसर और छात्रावास के लिए सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की पेशकश करता हूं। शर्तों को ध्यान से पढ़ने और समझने के बाद मैं यह प्रस्ताव दे रहा हूं। मैंने इस प्रस्ताव को करने से पहले किए जाने वाले आवश्यक कार्यों से स्वयं को परिचित कर लिया है। मैं ऊपर सूचीबद्ध विभिन्न शर्तों को स्वीकार करने के प्रतीक के रूप में इस वचनपत्र पर हस्ताक्षर करता हूं। मैं यह भी प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज गलत पाया जाता है, तो मैं समझता हूं कि संस्थान को किसी भी समय मेरे प्रस्ताव/निविदा को अस्वीकार करने का अधिकार है।

स्थान:	
दिनांक:	प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षा संविदाकार के हस्ताक्षर



संलग्नक-1

पिछले 3 वर्ष के ग्राहकों का विवरण

क्र. सं.	फर्म का नाम व पता	प्रभारी अधिकारी का नाम, पद व फोन न.		परिनियोजित पर्यवेक्षकों की संख्या	संविदा की अवधि	मासिक संविदा राशि (रुपये)	संविदा का कुल मूल्य (रुपये)	अनुभव के कुल वर्ष	संलग्न प्रमाणों की क्र.सं.
1	2	3	4	5	से- तक 6	7	8	9	10



संलग्नक-2

फर्म के वर्तमान/मौजूदा ग्राहकों का विवरण

क्र. सं.	फर्म का नाम व पता	प्रभारी अधिकारी का नाम, पद व फोन न.	परिनियोजित सफाईकर्मियों की संख्या	परिनियोजित पर्यवेक्षकों की संख्या	संविदा की अवधि से- तक	मासिक संविदा राशि (रुपये)	संविदा का कुल मूल्य (रुपये)	अनुभव के कुल वर्ष	संलग्न प्रमाणों की क्र.सं.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



राष्ट्रीय फै शन टे क्नोलॉजी संसथान वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार ससडको,इलेक्ट्ॉसनक काम्लेक्स रंगरे ट श्रीनगर 191132,जम्मू कश्मीर

National Institute of Fashion Technology

Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K

16823/NIFT/Sgr/Estates/Security Services/2020/927

Dated: 07-09-2021

E-TENDER NOTICE FOR HIRING OF SECURITY SERVICES

National Institute of Fashion Technology (NIFT), Srinagar invites e-tenders for providing round the clock Security services for a period of one year which may be extended on yearly basis for further period of two years subject to satisfactory performance of the agency for its Campus, Hostel/s etc.

Time schedule for tender process:

Date of tender notification	07-09-2021
Last date for receipt of duly filled in tenders (Online)	22-09-2021, at 17:00 hrs
Date and time of the opening of Technical bid of tenders	24-09-2021, at 11:00 hrs
Date and time of the opening of Financial bid of tenders	To be informed to technically qualified Bidders
Earnest Money Deposit	"NIL" Bid Security Declaration shall be kept by the bidder in the BID Documents

For applying online, the bidder should go through the details contained in the Tender Document available at https://eprocure.gov.in before submitting the bids. Tender document is also available for viewing on the "Tenders" link of the NIFT Srinagar website i.e. https://www.nift.ac.in/srinagar/

<u>Note:</u> In case of any clarification, the bidders can send their queries at <u>estates.srinagar@nift.ac.in</u> or contact +91-7006149501.

Director
National Institute of Fashion Technology,
Srinagar

Eligibility and Criteria for Selection:

- 1.1) A firm or agency having experience of at least last three consecutive financial years (2018-19, 2019-20, 2020-21) in security services to any Government/ Semi-Government/Autonomous Bodies/National level educational Institutions of high repute like IIT, NIFT, NIT CU's/reputed Pvt cos. etc. Satisfactory Performance certificate (mentioning successful completion in terms of compliances of all the statutory obligations including the timely deposition of GST in Govt account) from the institutions/organizations where contract was taken up must be enclosed with the technical bid.
- 1.2) The agency should have annual minimum turnover of **Rs.20 Lakhs or above** in each of the last three financial years i.e. 2017-18, 2018-19, 2019-20 (CA certified statement/certificate for turn over for last three years as mentioned must be enclosed along with technical bids)
- 1.3) The tenderer shall enclose a **Bid Security Declaration towards EMD** along with BID Documents.
- 1.4) The agency must have a Branch Office at Srinagar for proper supervision, reasonable access in case of day to day requirement, for better coordination with the security agency at the site etc. In case the agency does not have an office in Srinagar, the bidder has to give an undertaking that the office shall be opened in Srinagar within one month of allotment of contract.
- 1.5) Valid and effective Quality assurance ISO certificates held by the firm/agency for providing security services (copy of certificate must be enclosed).
- 1.6) The company/firm/agencies/corporation registered under PSARA 2005 and participating in the tender must have the valid PSARA 2005 license as on date of submission of bids.
- 1.7) The tenderer should not be blacklisted/banned by any Department of the Central or State Government or any PSU or any other organization. A notarized affidavit in this effectmust be enclosed along with bid.
- 2.0) Following documents must be enclosed along with Technical Bid
 - Copy of valid certificate of registration under PSARA 2005
 - Copy of PAN card
 - Copy of the GST Registration of the Firm.
 - Income Tax return for last 3 years (AY 2017-18, 2018-19, 2019-20).
 - License under Contract Labor Act issued from Assistant Labour Commissioner/Regional Labour Commissioner (not less than 15 workers).
 - Registration certificate/Code No. from EPF
 - Registration certificate from ESI
 - Certificates in support of point no. 1.1 & 1.2.
 - Turn over- Copy of CA certified statement/certificate for turnover for last 3 years **2017-18**, **2018-19**, **2019-20**.
 - Bid Security Declaration
 - Address proof of Registered Office as well as Branch office at Srinagar/Budgam, J&K of the firm/agencies.

On the basis of information provided in the technical bid, the NIFT may verify the details, cross examine, visit the premises and constitute a Committee to recommend the authorities to shortlist the bidders. The decision of the Campus Director for short listing only competent and capable to supply required personnel will be final. Price Bids of only shortlisted bidders will be opened for consideration.

The tenderers shall comply with all the requirements under qualifying criteria. Proofs shall be attached with Technical Bid, failing of any of the criteria under Technical Bid will disqualify for opening of price bid.

Submission of Bids

- a. Bids to this tender will be accepted only through the online mode through Central Public Procurement Portal (CPP portal) https://eprocure.gov.in. No other mode of application will be considered and application will not be accepted.
- b. For applying online, the firm should get itself registered at https://eprocure.gov.in .
- c. The tender document can be downloaded from the official website of NIFT Srinagar i.e. https://www.nift.ac.in/srinagar/ and also from CPP portal i.e. https://eprocure.gov.in
- d. The bidder should ensure that it complies with the above requirements before applying for tender. in the presence of such bidders who may wish to be present, either in person or through their authorized representatives (duly supported with authorization letter).

A) GENERAL TERMS AND CONDITIONS: -

- 1. Tender shall be submitted in official tender form only as indicated above. If submitted in any other form the same shall be summarily rejected.
- 2. The schedule issued with the form of tender listing the services to be rendered must not be altered by the tenderer.
- 3. No paper shall be detached from the tender.
- 4. NIFT reserves the right to instruct the selected agency to provide security services at any location in J&K, where it may require so. The no of security person can be increased or decreased as per the requirement and need from time to time.
- 5. Tenders received after the specified date and time, due to whatever reason will not be entertained.
- 6. Any conditional offers made by the Agency or any alterations/corrections made in the tender form shall not be considered. Similarly, incomplete and unsigned quotations are liable to be rejected.
- 7. As per the Govt. of India policy circular No. 1(2)/2016/MA dated 10th March 2016 relaxation to Startups in public procurement on prior experience & Turn over criteria subject to meeting quality and technical specifications shall be applicable.
- 8. NIFT reserves the right to accept or reject any tender without assigning any reason thereof.
- 9. The rates quoted by the agency should be the reasonable for the scope of work indicated. Any other charges that are leviable should be clearly mentioned.
- 10. The quotation submitted by the Agency should remain valid for a period of 90 days from the date of opening of financial bids.
- 11. Each tender must be accompanied by Bid Security Declaration towards EMD.

- 12. If any agency which is awarded contract for Security Services refuses to undertake the work, NIFT Srinagar reserves the right to suspend/ban the bidder for a period of three years. Similarly, if the selected agency fails to complete the tenure of the contract satisfactorily, it shall be banned from engagement with NIFT for a period of three years.
- 13. In the event of the date specified for receipt, opening of bids beings closed or declared as holiday for the NIFT Office, the due date for submission of bids, and opening of bids will be the following working day at the time fixed above.
- 14. The Bidders fulfilling the eligibility criteria, are subject to disqualifications if they have:
 - i) Made misleading or false representation in the form(s), statements(s) and attachments(s) submitted.
 - ii) Found to have been backlisted/banned/barred by a department/organization.
- 15. The NIFT shall have unfettered right to inspect the premises, process of security at any time & the agency will cooperate with the authorities.
- 16. For further updates/ amendments, the bidders are advised to visit the NIFT Srinagar Website. NIFT is not bound to issue the notifications in the newspapers or enter into personal correspondence.
- 17. The Agency shall be liable to compliance of all laws, regulations, rules and directions given by statutory authority with regard to safety, labour laws or any other laws both Central & State in force in the UT of J&K including registrations with the Provident Fund, Employees State Insurance, Commercial Tax, Municipal Corporations etc. Self —attested copies of all such statutory registrations shall have to be enclosed with the tender.
- 18. The security personnel should be provided with the portable heavy duty search light, whistle, torch and stick by the Agency for the performance of their duties. Necessary provisions of such costs/ expenditure shall be kept by bidder while quoting service charges in financial bid.
- 19. The Agency shall liaise with the Officer in charge security at NIFT Campus & report to him as and when required to make checks on day-to-day activities of the security services. The Agency shall extend full cooperation to the designated officer from time to time.
- 20. The contractor and his staff must abide by various rules & regulations of NIFT as prevalent from time to time.
- 21. The Contractor will demonstrate the firefighting equipment twice in a year and would be responsible for the operation of fire fighting in the event of fire break out. The Hydrants must be checked every month in close coordination with the designated officer of NIFT Srinagar. No additional cost on these activities shall be borne by NIFT on the count.
- 22. The selected agency shall deploy the Security Guards at NIFT Srinagar after screening the candidates through a Joint Committee of NIFT Srinagar and agency (Two members from NIFT Srinagar and one member from agency). The Security Guards who have already worked at NIFT Srinagar shall be given fair opportunity in screening to decide about their deployment at NIFT Srinagar.
- 23. The contractor shall comply with all existing Labour Legislation and Acts, such as Contract Labour Regulation Act, Workman's Compensation Act, Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, Provident Fund Act, ESI Act etc. For any lapse or breach on the part of the contractor in respect of non-compliance of any labour legislation in force during the validity of the contract. The contractor would be fully responsible and would indemnify the Institute in case the Institute is held liable for the lapse on the part of the contractor.
- 24. The Contractor shall submit to NIFT a list of all workers engaged to carry out the contract

- work, indicating name, age, home address, qualification etc. and will intimate as and when any change takes place. The contractor shall not at any time engage any minor to carry out the work under the contract. The contractor shall issue proper uniforms to the personnel deploy to carry out Security Services.
- 25. The contractor shall undertake that any act of omission or commission including theft, by his staff shall be his sole responsibility and further that he would compensate the Institute immediately, any loss or damage or theft occurring on account of his staff individually or collectively.
- 26. Either party (NIFT Srinagar or Agency) shall have the right to terminate the contract by giving 30 days' notice to the other party.
- 27. Notwithstanding above, NIFT reserves the right to terminate the Contract without notice period of the agency breaches/violates the contract agreement or any Govt of India norm.
- 28. If at any time, it is detected that the contract has been sublet or assigned to any other entity by the successful bidder, the Institute shall be at liberty to terminate the contract forthwith without giving any time to the successful bidder.
- 29. The contractor and his staff shall compile with all instructions and directions of the NIFT authorities given from time to time. In the event of any emergent situation, the staff of the contractor shall comply with instructions given by the NIFT Authorities without waiting for confirmation by the contractor.
- 30. The contract shall be valid for a period of one year from the date of completing all the formalities with respect to signing of agreement, deposition of Performance Security. However, the contract may be renewed on yearly basis for further period of two years on mutually agreed terms depending upon satisfactory services / performance of the contractor. In case services of the agency are not found satisfactory, the contract can be terminated by the institute even before the completion of the contract period which should binding to the security agency.
- 31. All the workers engaged by the contractor for carrying out task under this contract, shall be deemed to be the employees of the contractor's agency. The agency shall be solely responsible for their wages, fringe benefits, conduct, duty roster, leave records, relievers etc.
- 32. The agency shall also provide its workers photo identity card which shall be checked by the Security Supervisor as and when necessary.
- 33. Non-compliance of any terms & conditions enumerated in the contract shall be treated as breach of contract.
- 34. The Security contractor shall ensure that the staff engaged by him shall not smoke beedies, cigarettes or take alcoholic drinks nor they are allowed to chew paan, gutka, tobacco items etc. at the campus.
- 35. The selected agency will be required to enter into an Agreement with the NIFT Srinagar on a non-judicial stamp paper of Rs 100/- which shall also include the relevant clauses of this NIT as well as other mutually agreed conditions.
- 36. Notwithstanding the punitive provisions contained in the contract for breach of contract the contractor shall not be liable for any such sanction so long as the failure of the contractor in fulfilling its obligations under the contract is the result of an event covered under Force Majeure clause.
- 37. NIFT Srinagar shall have the powers to remove any difficulty/anomaly for successful running

of Contract.

B) ARBITRATION:

- 1. Dispute, if any, arising out of the services contract shall be settled by mutual discussion between the parties within 30 days.
- 2. In the event no amicable resolution or settlement is reached between the parties within 30 days after receipt of notice by one party, the dispute/ differences shall be referred to arbitration by sole Arbitrator to be appointed by the Director NIFT as per the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Rules framed thereunder.
- 3. Decision of NIFT with regard to interpretation of the terms and conditions shall be final and binding on the Agency.
- 4. The language of the arbitration proceedings shall be in English. The Arbitrator shall give a speaking and reasonable award.
- 5. In case of failure of arbitration as explained above, appropriate courts at Srinagar/Budgam (J&K) will have the jurisdiction to adjudicate upon the matter.

C) FINANCIAL TERMS & CONDITIONS: -

- The contractor shall submit to NIFT Srinagar, copies of Biometric attendance sheet duly certified by the designated officer of NIFT along with the monthly bill. Copies of the previous month wage register along with certified copy of challan of ECS, ESI, EPF deposits along with the GST returns must also be submitted with every bill.
- 2. NIFT will not be responsible for the release of benefits such as Provident Fund, ESI, workmen compensation, bonus, pensionary benefits or allowances. However, any increase in Basic Wages under the minimum Wages Act or in any other Labour Legislation or other statutory obligations including EPF, ESI etc during the validity period of the contract shall be borne by the NIFT after considering relevant instructions of Govt of India. Similarly, if the rate of statutory obligations decreases, the corresponding amount shall also be decreased in monthly bills of agency.
- 3. Income-Tax, as per prevalent Laws shall be deducted at source while making payment of contractor's bills.
- 4. The agency to whom order will be placed have to submit the Performance security (i.e. 3% of the value of contract for 12 months in the form of Demand Draft/ BG drawn in favor of NIFT Srinagar, payable at Srinagar, J&K & should be valid for a period of 90 days beyond the date of completion of all contractual obligations of the agency. However, in case of unsatisfactory service provided by the agency or breach of any provision of the agreement, the Performance Security will be forfeited. The decision taken by the NIFT in this regard shall be final.
- 5. From among the bidders short listed after the evaluation of the Technical Bid. The Lowest -L1 bid will be decided at the time of finalization of E-tender on the basis of rate quoted under Service Charges/ Profit Margin given in the Financial Bid for providing security services. In case two or more tenderers quoting same rates/same profit margin, preference will be given to the tenderer having maximum experience of providing security service in similar Govt. organizations as per the records submitted by the bidders at the time of submitting the tender. The recommendations of the Committee and the decision of the Director, NIFT Srinagar shall be final in all respect and will be acceptable

to all the tenderers.

D) WAGES OF STAFF

- Contractor shall pay minimum wages to all workmen as per the Central Government Minimum Wages Act (as amended from time to time). However, any increase in Basic Wages under the minimum Wages Act or in any other Labour Legislation or other statutory obligations including EPF, ESI etc during the validity period of the contract shall be borne by the NIFT after considering relevant instructions of Govt of India. Similarly, if the rate of statutory obligations decreases, the corresponding amount shall also be decreased in monthly bills of agency.
- Contractor shall compulsorily issue the salary slips to all his employees every month with complete details of wages being paid. Salary statement shall also be put on notice board at NIFT Srinagar Campus.
- 3. The Service Provider and its staff shall contribute towards all statutory obligations towards EPF, ESI etc., which are mandatory as per Government Act, Rules and Regulations issued from time to time. Separate challan and ECR for personnel deployed to NIFT shall be submitted along with the bills and it should not be combined with other members of the same Service Provider. After making the wage payment, remittance of statutory payments to the concerned authorities for the month, the Service Provider shall raise the bill in duplicate to NIFT for reimbursement on or before 15th of the month and the bill will be settled within 10 days. The bill should be submitted along with the attendance statement, ECS statement of wages remitted in respect of security personnel in the bank for the month and statutory payments i.e. EPF/ESI remittance challans, Form -7 etc. exclusively for NIFT.
- 4. The Contractor must submit the proofs of payments towards PF & ESI dues of previous month for claiming subsequent month's payment. While submitting the bill, the service provider must file a certificate certifying the following:
 - Wages of Security personnel were credited to their bank a/c on dt: (copy of bank statement to be enclosed)
 - EPF contribution relating to security personnel's amounting to Rs. were deposited on dt: . (copy of challan ECR Copy to be enclosed)
 - ESI contribution relating to security personnel's amounting to Rs. were deposited on dt: . (Copy of Form-7 & challan to be enclosed).
 - We are complying with all statutory labour laws including minimum wage act.
- 5. While submitting the monthly bill, the contractor will clearly submit a salary statement of all the workers requesting that the wages to be credited into their individual accounts maintained in the bank. NIFT reserves the right to verify the salary paid to the workers from the bank.
- 6. Contractor shall also ensure that each and every coverable employee is covered under the provisions of ESI Act 1948 and EPF Act 1952.
- 7. The Payment shall be made strictly on satisfactory work and on the basis of Daily attendance of workers engaged.
- 8. The Contractor must submit the proofs of payments towards PF, & ESI along with monthly bills.

E) SCOPE OF WORK AND SPECIFIC CONDITIONS: SECURITY SERVICE CONTRACT:

- 1. Round the clock security arrangements, including Saturdays, Sundays and holidays to be provided at the NIFT Campus or any other location in UT of J&K as instructed by the NIFT.
- 2. The security Agency shall engage qualified and experienced security supervisor and security guard at NIFT Srinagar/Hostel. They should be literate (supervisor with at least 10+2 Pass certificate and Guards with at least 8th Pass Certificate) able to read, write and understands, Hindi/Urdu and English languages. They should have first-aid training in the area of industrial security and in handling firefighting equipment. The Guards shall produce the medical fitness certificate from authorized officer registered with Medical Councils of India at the time of their deployment. While deploying the Security Guards at NIFT Srinagar, the agency shall place the required bio-data of Interested Candidates before a Joint Committee comprising of two members from NIFT Srinagar & one member from Agency for evaluation & final selection. Security/Manpower already working at NIFT Srinagar through existing agency shall be given an opportunity for placement at NIFT Srinagar.
- 3. The security supervisors and guards must be smartly dressed in proper uniforms with all accessories such as cap, shoe, belt etc, while on duty. Uniform & other items shall be arranged by agency without any cost being borne by NIFT. The Agency shall supply uniform (all weather) at least 02 sets (summer) & 2 sets(winter) for each security guard with all accessories such as shoes, cap, sweater, jackets, raincoat including shoe polish and shoe brush etc. The name plates should be provided to the deployed security guards. The uniform shall be different from Police and other Force, preferably Dark Blue/ Grey. With regard to badges and name of the guards/ supervisors should be permitted to wear Presidential Stars on shoulders/ Cap badges. Necessary provisions of such costs/ expenditure shall be kept by bidder while quoting service charges in financial bid.
- **4.** If at any time any of the security personnel are found to be guilty of misconduct in any manner, the Security Agency shall be asked to replace that person.
- **5.** The Agency will ensure that the NIFT Campus & Hostel premises, including land, building, etc. are not encroached upon/occupied by the authorized person.
- 6. The security personnel have to discharge their duties in neat & clean uniform for which a washing allowance/ detergent powder as per requirement, the agency shall bear the cost of the same. Identity badges (Showing in the name of the personnel shall have to be provided by the agency which should be displayed on the uniform of all the security personnel while on duty.
- 7. The Security Personnel entrusted with duties at the Institute campus and at the hostel premises, should deal with staff, students and visitors, politely and courteously. In case any security staff is found to misbehave or indulge in misconduct of any nature, the Security Agency shall be asked to replace that person immediately. It will be responsibility of the security guard deputed at reception area of NIFT Campus to welcome & attend all the visitors proactively & properly.
- **8.** The particulars of staff viz name, age, photograph address, qualifications, previous service experience, etc. engaged by the Security Agency should be submitted to the NIFT, Srinagar. The antecedents of the security personnel shall be done by agency from the concerned Police Station before release of first month wages. For this purpose, the Security Agency should submit requisite detailed information and passport size photographs and extend cooperation in getting the verification done.

- **9.** It would be the responsibility of the Security Agency to maintain and ensure fool-proof security at the main gate by regular check of incoming / outgoing personnel. As far as visitors are concerned, the security personnel should insist that they write in the register their name, address, telephone number, the purpose of visit and the person they want to meet, and thereafter issue a visitors' pass. The visitors pass, should be collected back, when the visitor leaves, duly signed by the concerned officials.
- **10.** All the incoming and outgoing entities and goods should be thoroughly checked by the security guards. The security guards must ensure that NIFTs property whether equipment or materials, are not allowed to be taken out of the campus, without proper gate-pass duly signed by the authorized officials.
- **11.** The security guards shall also check the garbage/wastage being taken out for disposal to ensure that none of the useful items are taken out for disposal.
- **12.** Cars/Scooters/Motor cycles belonging to NIFT Faculty, staff and students may be allowed parking in the allotted space only. Also, vehicles of Govt. officials/ other VIPs may be allowed parking inside the campus. Vehicles of visitors, however, should be parked outside the main gate, in the area specified.
- 13. The security guards will carry out occasional random checks of two wheelers and four-wheelers of staff and students while leaving the campus to ensure that none of the property of NIFT is being taken un-authorized. Similarly, random frisking of staff and students should be done. Such check of vehicles or frisking of personnel must be done in decent manner. Secondly, female security guards should do the frisking of female students / staff.
- 14. NIFT officers may carryout surprise checks at any time of the day or night. During the duty hours if any security guard is found missing or sleeping or in a drunken state such person will have to be replaced immediately. In such instances NIFT reserves the right to take the necessary administrative action or impose a penalty of Rs. 1,000/- or more as deemed necessary by the Competent Authority per such occurrence.
- **15.** In the wake of poor service by the agency or failure to comply with the instructions of NIFT Srinagar, penalty shall be imposed on agency @2% of the monthly bill amount. In case of further failure to take remedial action or compliance by the agency, the Contract is liable to be terminated along with other actions including forfeiture of Performance Security.
- 16. In the event of any eventuality or mishap happening at the campus, such as robbery, vandalism, fire, communal riot, earthquake, etc., the security persons on duty shall immediately intimate the NIFT Authorities. List of residential phones or mobile phone numbers of NIFT Officers shall be available with the security at the main gate. The security agency shall be held responsible if the message is not conveyed to the NIFT officers immediately.
- 17. After office hours on working days and on Sundays / Holidays, the security supervisor/guard on duty at the main gate shall also receive phone calls/messages from other institutions / organizations and depending upon the urgency of the matter, relay such messages to the concerned officials of NIFT.
- 18. In case of any damage or loss to the Institute's property or material caused directly or indirectly by the security personnel, the security agency shall be held fully responsible, and the Institute shall be entitled to deduct appropriate amount from the contract fees payable to the Agency. The amount of loss or damage as determined by the Competent Authority,

- NIFT, shall be final and binding on the Security Agency.
- **19.** Similarly, the security agency shall be responsible for theft, fire or any other damage in the Institute occurring on account of carelessness of the security personnel. The amount of damage as determined by the Director/Joint Director of the Institute, in such cases shall be final and binding on the security agency.
- **20.** The security personnel on duty, will not leave the duty point on completion of their 8:00 hours duty, unless and until the next person on duty takes over/or reliever person takes charge. In case any security guard falls sick, the security agency shall be responsible to provide reliever person out of its pool of security guards, at its own cost.
- 21. The security agency shall maintain record of major / minor incidents on daily basis and report the same to the NIFT Authorities in this regard the agency will also inquire about any incidents, like theft, indiscipline, disobedience, or any unauthorized activities / criminal activities happening in the campus. The security agency/Security Supervisor shall also be responsible to lodge complaints with police authorities in such instances and take follow-up action for recovery of lost material / equipment.
- **22.** The security personnel at the main gate will also maintain a log-book/register for Institute's transport vehicles as well as vehicles hired from the Transport Contractor.
- 23. The security agency shall keep watch at various points designated including patrolling the campus, especially after office hours. In the event of power failure at any time, the security personnel should use emergency lights and place them at vantage points, as also intensify patrolling. The security guards shall also keep a check and avoid wastage of electricity and water.
- **24.** The security agency shall provide torches with dry cells, umbrella, whistle and batons, or any other materials required to its staff of guards and supervisors, along with uniforms, at its own cost. In addition, the security agency shall provide to its supervisor on duty in each shift, a mobile telephone to facilitate communication in emergency situations.
- **25.** The security guards deployed in the 2nd and 3rd shifts will be required to keep continuous night patrolling regularly.
- **26.** The Security Agency, supervisors and the guards will strictly follow the security policy of the institute.
- **27.** The Service provider / agency personnel shall not divulge or disclose to any person, any details of office, operational process, and technical know-how, security arrangements and administrative / organizational matters as all are of confidential/ secret nature.
- 28. In case the workers engaged by the Agency have any grievance, they shall take it up with the Agency without creating any disturbance on the campus. Under no circumstances agitation means are to be resorted to by workers of the agency, on the premises of the Campus. O the expiry of the contract the Agency shall undertake to leave the premises in peace with all the workers without creating any disturbance. The Agency shall be solely responsible if the workers engaged by it misbehave or create problems.
- **29.** The security agency shall have contact nos. (Telephone/mobile) of all vital areas, hospitals, police station, local authorities and NIFT officials.
- **30.** The security guards deployed in different areas of campus will also be responsible to look after /supervise the housekeeping work in their respective areas.
- **31.** The agency shall grant appropriate leave to its staff as per the norms of Govt. Against the persons on leave, the agency shall deploy personnel from its own expenses.

- **32.** The Security Agency shall not deduct/ask for any amount from its Security Staff unless the same is provided under this contract or any Govt rule.
- **33.** The security agency is expected to offer their rates in Commercial Bid, for their service charge/profit margin along with other liabilities. The minimum wages as per Central Govt. has been reflected in the format of Commercial Bid wherein the same is worked out for 30 days.
- **34.** The selected firm will install the complete set up of Biometric Machine by his own for marking the attendance for the security person. NIFT will not bear any cost either in terms of installation or regular maintenance of the complete set up of the biometric machine.
- **35.** The scope of work is to effectively & efficiently cater to the security needs of the Instituteand therefore involves jobs which includes the following:
 - watch & ward should be capable of proper monitoring through CCTV cameras.
 - preventing entry of unauthorized persons & vehicles
 - regulating entry and exit of vehicles
 - regulating entry and exit of materials (inward/outward entry after proper counting)
 - prevention of theft, loss and damage to NIFT property
 - vigil, monitoring housekeeping services
 - keeping constant patrolling of the premises
 - fire fighting in case of need
 - driving away stray animals from the campus
 - safety of movable & immovable property
 - Regular checking of all office rooms and switching off lights, fans, power points, airconditioners etc.
 - The security guards may also be utilized as helping hands during exigencies.
 - Attending telephone calls when office is closed and keeping record of telephonic message/communication.
 - Record keeping
 - Any other jobs concerned with the Security issues of the Institution

And all other functions essential to meet security needs of the institute in a foolproof manner. The scope of work also includes induction, deployment of trained security personnel, constant monitoring of check posts, emergency drill including fire safety drill, surprise checks, reporting and reviewing of security matters by handling all security requirements of the Institute independently & recommend measures to improve the security arrangements.

The Rate Contract shall also include any work of incidental & contingent nature although not specifically mentioned in the tender, but necessary for its completion in an efficient manner.

UNDERTAKING BY THE SECURITY CONTRACTOR

We have carefully gone through the various terms and conditions listed in sections 'A', 'B', 'C', 'D' 'E' & 'F' above for provision of security services at NIFT, Srinagar. We agree to all these conditions and offer to provide security services at NIFT. We are making this offer after carefully reading the conditions and understanding the same without any kind of pressure or influence from any source whatsoever. We have inspected the Institute premises and the hostels and have acquainted ourselves with the tasks required to be carried out, before making this offer. We hereby sign this undertaking as token of our acceptance of various conditions listed above.

Place: Date:	
	Signature of Security Agency/Contractor
	Address: -
	Phone No
	E-mail:

Seal of the Agency

Form of Bid-Securing Declaration

Date: [insert date (as day, month and year)]
Bid No.: []
To NIFT Ministry of Textiles, Govt. of India SIDCO Electronic Complex Rangreth, Srinagar-191132 J&K
I/we undersigned and declare that: I/we understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. I/we, accept that we will automatically be suspended from being eligible for bidding in any contract with the NIFT Srinagar for the period of 3 years, if we are in breach of our obligation(s) under the bid conditions, as listed below: (a) Have withdrawn our Bid during the period of bid validity specified in the Letter of Bid; or (b) having been notified of the acceptance of our Bid by the NIFT Srinagar during the period of bid validity, (i) fail or refuse to execute the Contract, if required, or (ii) fail or refuse to furnish the Performance Security, in accordance with NIT.
Signed
Name:
Dated:day of,[insert date of signing]
Corporate Seal (where appropriate)
[Note: In case of a Joint Venture, the Bid-Securing Declaration must be in the name of all partners to the Joint Venture that submits the bid.]

FORM I Technical Bid

ANNUAL RATE CONTRACT FOR PROVIDING SECURITY SERVICES AT NIFT SRINAGAR

1.	Name of the Agency	:		
2.	Address of the Agency:			
3.	Phone No.:	(Mob.)	(e-mail)	
4.	Whether proprietor/ pa	rtnership Firm / Comp	any:	

S. No.	Required Documents	Attached Attached	/	Not	Sr. No. of Proof (Must be indicated)
1.	Date of incorporation of the Firm. State whether it is Partnership/ or Proprietorship (attached a certified copy for proof)				
2.	Bid Security Declaration towards EMD (Duly Stamped & Signed on Company/ Firm Letter Head)				
3.	A) Last 3 consecutive years (2018-19, 2019-20, 2020-21) experience certificate for successful completion of work issued by the concerned organization (Please attach attested copies of the same along with details as per Annexure I & Annexure II)				
4.	Certified document in support of annual turnover of Rs. 20 Lakh or above in each of the last three years 2017-18, 2018-19, 2019-20) (CA Certified statement/certificate for turnover/IT returns for last 3 years must be enclosed along with Technical Bids).				
5	Valid licenses under Private Security Agencies (Regulation) ACT PSARA 2005 . (Proof of valid certificate of having PASARA license 2005must be attached)				
6	Registration certificate/License under Contract Labor Act issued from Assistant Labour Commissioner/Regional Labour Commissioner				
8.	Copy of the GST no. of the Firm				

9.	Income Tax return for last 3 years (Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20)	
10.	Registration certificate from EPF	
11	Copy of GST	
12	Registration certificate from ESI	
13.	Copy of terms and conditions and every page of the tender document duly signed with seal of the firm, in token of acceptance of terms and conditions of tender. (Yes/No)	
14.	Tenderer should not be blacklisted by any Department of the Central or State Government or any PSU or any other organization. An affidavit (notarized) in this effect must be enclosed.	
15	Valid and effective Quality Assurance ISO certificate held by the firm /Agency for providing security Agencies (copy of the certificate must be attached)	
16	Address Proof of Registered Office as well Branch office at Srinagar, J&K of the firm agencies.	
17	Copy of the terms and condition and every page of the tender document duly signed with seal of the firm, in token of the acceptance of terms and condition of the tender. (Yes /NO)	

- 5. Attach a statement showing details of the Security contracts during last three years (excluding current contracts) with names of the Organizations, contact official's name and contact details, number of total guards Supervisors deployed, monthly rate contract amount for each contract (Format enclosed at Annexure I).
- 6. Provide all above details in a separate statement for all the existing / present Security contracts. (format enclosed at Annexure II)
- 7. Serial no. of proofs must be indicated in the technical bid.

Dated:	Full Name, Signature & seal of the
	Authorized person
Place:	

FORM -II (COMMERCIAL BID)

ANNUAL RATE CONTRACT FOR PROVIDING SECURITY SERVICES AT NIFT Srinagar for its Campus & Hostel

- 1. The Agency shall have to deploy Security Guards/ supervisors for Shift of 08 Hours each in accordance with the Labour Laws.
- 2. The Agency have to depute initially (08) Male Security Guards, (03) Female Security Guards & (1) Security Supervisor at NIFT Srinagar for a period of one year. The no. of security person mentioned above may be increased or decreased as per the situational requirement.
- 3. The Agency shall deploy Security Guards/ Supervisor in accordance with the Letter of Award issued by NIFT Srinagar from time to time. The guards deployed shall attend duty as per the guidelines/ instructions of Govt.
- 4. The Security Agency shall ensure that security supervisors and guards engaged for security services at NIFT are paid not less than minimum wages and statutory payments as prescribed by Regional Labor Commissioner's office, from time to time. In case, rates quoted by any Security Agency are lower than the prescribed minimum wages and allowances, such tenders shall not be considered.
- 5. Abnormally low bid submitted by the bidder shall be rejected. Before doing so, NIFT Srinagar at its discretion may seek written clarifications from the Bidder, including detailed price analyses of its bid price in relation to scope, schedule, allocation of risk & responsibilities, and any other requirements of the bid document. If, after evaluating the price analyses, NIFT Srinagar determines that the bidder has substantially failed to demonstrate its capability to deliver the contract at the offered price bid, the bid shall be rejected forthwith & the contract shall be awarded to next L1 quoting a financially balanced Bid.
- 6. The contractor must cover all components as described in the tender document (such as statutory components, profit margins, uniform, reliever wages, tax etc) while offering the rates under the Column B (Service Chares/ Profit Margin) of Appendix-I
- 7. The agency shall grant appropriate leave to its staff as per the norms of Govt.

Minimum wages (As per Ministry of Labour & Employment Office of the Chief Labour Commissioner, New Delhi): The Minimum Wages for Watch & Ward (without arms) under Area B is Rs 714/- per day vide order No - 1/16/(6)/2020-LS-II, dated 23/04/2021

(A)

SI.	Type of Workers	ers Minimum Wages (Basic EPF@13%)		913%)	ESI	Sub Total
No		+ VDA) for a month (i.e. 30 days including reliever duties) Weekly one day off is mandatory to each security person.	EPF along with Admin charges i.e. 12.5%	EDLI i.e. 0.5%) Up to ceiling of Rs. 75 per person	(@ 3.25%)	inRs. (3+4+5+ 6)
1	2	3	4	5	6	7
(a)	Security Supervisor under Category Watch & Ward (without arms) ***Rs 1000/- will be paid in extra on monthly basis to Supervisor.	21420/- 21420/- (@714per day * 30 Days) + Extra Rs 1000/-	2802.5	75.00	728.65	26026.15/-
(b)	Security Guard under Watch & Ward Category (without arms)	21420/ - (@714 per day * 30Days)	2677.5	75.00	696.15	24868.65/-

(B)

Monthly Services Charges/ Profit Margin for each Security Guard/ Supervisor							
n Figures In Words							
(exclusive of GST as applicable)	(exclusive of GST as applicable)						
Rs.	Rs						

Instructions/Conditions for Financial Bid.

- 1. Bid Quoted in any other form like Percentage etc shall be summarily rejected.
- 2. While quoting the Amount (in INR) under Column (B) of Appendix -1, the bidder must note that following expenses are to be borne by it from the quoted amount:
 - a. Cost of Material/ Equipment, Uniform with all accessories such as shoes, caps, sweaters, jackets, raincoat including shoe polish and shoe brush etc.
 - **b.** TDS under Income Tax
 - **c.** Paid leaves to staff as per norms and providing alternative personnel to NIFT Srinagar during leave period.
 - **d.** Bonus to staff as per norms.
 - e. Any other expenses incidental to contract.
- 3. The above rates are for a period of 30 days.
- 4. The calculations must be made as per above tables. If required, the agency may provide the breakup on separate sheet.
- 5. The Service Provider Service Charge/ Profit margin must be same for all categories.
- 6. The no. of security person mentioned above may be increased or decreased as per the situational requirement. The final no. of security personnel shall be placed as per the actual requirement at the time of awarding the contract, after approval of the Competent Authority. At present, NIFT Srinagar has hired 12 Number of Security Guards on Outsourcebasis.
- 7. GST as per prevalent rules shall be paid by NIFT if applicable.
- 8. TDS on GST shall be deducted as per norms.
- 9. TDS on Income Tax shall be deducted from the bill amount as per norms and same is to beborne by the Bidder.
- 10. L1 will be decided on the basis of Service Charges /Profit Margin. The tenderer quoting lowest rate will be considered as L-1. In case two or more tenderers quoting same rates/same profit margin, preference will be given to the tenderer having maximum experience of providing security service in similar Govt. organizations as per the records submitted by the bidders at the time of submitting the tender. The recommendations of the Committee and the decision of the Director, NIFT Srinagar shall be final in all respect and shall be binding on bidders.
- 11. The final no. of security personnel shall be placed as per the actual requirement at the time of awarding the contract, after approval of the Competent Authority. Payment to the agency will be made as per actual deployment of manpower/guard based on requirement working days of the Institute.
- 12. Selected agency shall provide the Security at the locations/campuses as directed by NIFT Srinagar in Dist Budgam/Srinagar.

UNDERTAKING BY THE CONTRACTOR

I have carefully gone through the various terms and conditions mentioned in the tender document. I agree to all the conditions and offer to provide security services at NIFT Srinagar for its Campus & Hostel situated at Rangreth SIDCO Electronic Complex). I am making this offer after carefully reading the conditions and understanding the same. I have acquainted with the tasks required to be carried out, before making this offer. I hereby sign this undertaking as token of our acceptance of various conditions listed above. I also certify that the documents submitted by me are true and correct in order to the best of my knowledge and belief. In case any of the documents submitted by me is found false, I understand that institute has the right to reject my offer/tender at any point of time.

Place:	
Date:	Signature of Security Contractor/ Authorized official

Statement of the clients during last three years

S. No.	Name and Address of the firm	Name, Designation and Contact Phone no. of the official incharge		No. of supervisors deployed	Period of Contrac t From -	Monthly contract amount (Rs.)	Total value of Contract (Rs.)	Total Year of Experien ce	Sr. no. of proof attache d
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Statement of the existing / present clients of the firm.

S.No.	Name and Address of the firm	Name, Designation and Contact Phone no. of the official in-charge	No. of Security guards deployed	No. of supervisors deployed	Period of Contract From - To	Monthly contract amount (Rs.)	Total value of Contract (Rs.)	Total Year of Experien ce	Sr. no. of proof attached
1	2	3	4	5	6	7	8		9